



अनुसंधान प्रश्न

“हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद पैतृक और सहदायिक संपत्ति में बेटी के क्या अधिकार हैं, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा ने पूर्वव्यापी लागू होने पर क्या तय किया, और पिता की मृत्यु 2005 से पहले होने पर ये अधिकार कैसे लागू होते हैं?”

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद सहदायिक संपत्ति में बेटियों के अधिकार और विनीता शर्मा निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव

सारांश

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद, हिंदू मिताक्षरा संयुक्त परिवार में एक बेटी को जन्म से ही बेटे के समान सहदायिक (coparcener) का दर्जा और अधिकार प्राप्त हैं (धारा 6)। सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि यह प्रावधान "प्रतिगामी/पूर्वव्यापी" (retroactive) प्रभाव रखता है, क्योंकि यह जन्म रूपी पूर्ववर्ती घटना पर आधारित है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि चूंकि सहदायिकी अधिकार जन्म से (अबाधित विरासत या unobstructed heritage के रूप में) मिलते हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि पिता सहदायक 9 सितंबर 2005 को जीवित हो; अतः यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले भी हुई हो, तब भी बेटी का अधिकार अक्षुण्ण रहता है, बशर्ते कि संपत्ति का वास्तविक विभाजन 20 दिसंबर 2004 से पहले किसी पंजीकृत डीड या अदालती डिक्री द्वारा न हो चुका हो।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	1	2025
18 उच्च न्यायालय • 7 सर्वोच्च न्यायालय		Allahabad High Court

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	5
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 जन्म से सहदायिकी का अधिकार (Right to Coparcenary by Birth)

बेटियों को जन्म के आधार पर ही सहदायिकी का दर्जा प्राप्त होता है, जो कि एक 'अबाधित विरासत' (unobstructed heritage) है, और यह अधिकार संशोधन पूर्व की जन्म तिथि से अप्रभावित रहता है, जैसा कि *Vavilapalli Rajeswari v. Bavera Appalanaidu* (2023) में स्पष्ट किया गया है।

02 पिता के जीवित होने की अनिवार्यता का अंत (No Requirement of Father Being Alive in 2005)

सहदायिकी अधिकार जन्म से प्राप्त होने के कारण, यह आवश्यक नहीं है कि पिता सहदायक 9 सितंबर 2005 (अधिनियम के लागू होने की तिथि) को जीवित हों। पिता की मृत्यु 2005 से पहले होने पर भी बेटियों का अधिकार सुरक्षित रहता है, जिसकी पुष्टि *Harilal v. Yashodabai* (2024) में की गई है।

03 मृत बेटी के कानूनी वारिसों का अधिकार (Rights of Deceased Daughter's Heirs)

यदि किसी बेटी की मृत्यु 2005 के संशोधन से पहले भी हो चुकी हो, तो भी उसके जन्मसिद्ध सहदायिकी दर्जे के कारण उसके कानूनी वारिस (legal heirs) संपत्ति में हिस्से का दावा कर सकते हैं, जैसा कि *Channabasappa v. Parvatevva* (2023) में निर्णित किया गया है।

04 प्रारंभिक डिक्री के बाद भी हिस्सेदारी में संशोधन (Modification of Share even after Preliminary Decree)

यदि विभाजन के मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री (preliminary decree) पारित हो चुकी हो, लेकिन अंतिम डिक्री (final decree) अभी लंबित हो, तो कानून में बदलाव के कारण बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सा देने के लिए प्रारंभिक डिक्री में संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि *Ganduri Koteshwaramma v. Chakiri Yanadi* (2011) में माना गया है।

05 मौखिक विभाजन के दावों पर कड़ा रुख (Strict Proof Required for Oral Partition)

20 दिसंबर 2004 से पहले के केवल मौखिक विभाजन के दावों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वे किसी सार्वजनिक दस्तावेज या अदालती डिक्री द्वारा पुष्ट न हों, जैसा कि *Kamlakar Purushotam Inamdar v. Rajani Shriram Madiwale* (2024) में स्पष्ट किया गया है।

06 वसीयत और अन्य अंतरिम हस्तांतरणों पर सीमाएँ (Limits on Testamentary Dispositions)

20 दिसंबर 2004 से पहले किए गए वैध हस्तांतरण, पंजीकृत बंटवारे या वसीयतनामों को इस संशोधन से सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन इसके बाद निष्पादित कोई भी वसीयतनामा बेटियों के जन्मसिद्ध सहदायिकी अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, जैसा कि *Chandrasekaran v. Vijaya* (2023) में तय हुआ है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में *Prakash & Ors. v. Phulavati & Ors.* (2015) में यह माना था कि संशोधन केवल तभी लागू होगा जब 9 सितंबर 2005 को पिता और पुत्री दोनों जीवित हों। हालाँकि, बाद में *Danamma @ Suman Surpur & Anr. v. Amar and Ors.* (2018) और विशेष रूप से विनीता शर्मा (2020) के निर्णयों द्वारा इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया गया और सहदायिकी को जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया गया। हाल ही में *Prasanta Kumar Sahoo & Ors. v. Charulata Sahu & Ors.* (2023) में यह पुनः दोहराया गया कि विभाजन का वाद अंतिम डिक्री पारित होने तक लंबित माना जाता है, इसलिए लंबित कार्यवाहियों में बेटियों को संशोधित अधिकारों का लाभ मिलना अनिवार्य है।

उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने विनीता शर्मा के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने *Lagama v. Gundawwa* (2024) में माना कि 1969 में पिता की मृत्यु होने के बावजूद बेटी विभाजन की हकदार है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने *Roshni v. Bhikham Das* (2023) में निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया जिसने पिता की मृत्यु 2005 से पहले होने के आधार पर बेटी का दावा खारिज कर दिया था। इसके अलावा, राजस्थान उच्च न्यायालय ने *Jaipal Singh v. Roshni* (2022) में पुष्टि की कि सहदायिकी अधिकार जन्म से उत्पन्न होते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने *Anand Vardhan Prasad v. Viajaya Lakshmi Srivastava* (2024) में विभाजन के बाद वारिसों के बीच हिस्सों के पुनर्वितरण को कानूनन सही ठहराया। मद्रास उच्च न्यायालय ने *R. Kala v. Sundaramoorthi* (2023) में राज्य स्तरीय संशोधनों की सीमाओं को केंद्रीय संशोधन के प्रकाश में अप्रासंगिक माना।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

मौखिक बंटवारे की कठोर साबित करने की जिम्मेदारी

मौखिक बंटवारे को अदालतों द्वारा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है और इसके लिए मजबूत और निरंतर सार्वजनिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे खारिज कर दिए जाते हैं, जैसा कि *Basappa Maharudrappa Holi v. Parawwa* (2023) में स्पष्ट किया गया है।

शून्य विवाह की संतानों के सहदायिकी अधिकार

यदि पिता का दूसरा विवाह पहली पत्नी के जीवित रहते हुआ है और वह शून्य (void) है, तो उस संबंध से पैदा हुए बच्चों को सहदायिक नहीं माना जा सकता, जैसा कि *Vedhavalli v. Venkatesan* (2024) में माना गया।

विभाजन पर सीमाएँ

20 दिसंबर 2004 से पहले पूर्ण हो चुके विभाजन (जैसे पंजीकृत विभाजन विलेख या अदालती डिक्री) को नए कानून के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसा कि *Achutuni Sitharavamma v. Turaga Ananda Rao* (2023) में रेखांकित किया गया है।

II. सांविधिक प्रावधान 1 प्रावधान

SECTION 6, HINDU SUCCESSION ACT, 1956 — DEVOLUTION OF INTEREST IN COPARCENARY PROPERTY

यह प्रावधान स्थापित करता है कि मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार में एक सहदायक की बेटी जन्म से ही बेटे के समान अधिकार और दायित्वों के साथ सहदायक बन जाती है।

"On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall, (a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son; (b) have the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son; (c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenary property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener: Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004." उद्धृत: Achutuni Sitharavamma v. Turaga Ananda Rao, Roshni v. Bhikham Das, Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, Nagben v. Bhikhabhai Ranchhodbhai, Chancharapu Madhusudhan Reddy v. Chancharapu Charishma, Harilal v. Yashodabai, Kamlakar Purushotam Inamdar v. Rajani Shriram Madiwale, Chandrasekaran v. Vijaya, Vedhavalli v. Venkatesan, R. Kala v. Sundaramoorthi, Anand Vardhan Prasad v. Viajaya Lakshmi Srivastava, Kishanlal Choudhary v. Dakshayani, Rangashamaiah v. Rangahanumaiah, Basappa Maharudrappa Holi v. Parawwa, Lagama v. Gundawwa, Channabasappa v. Parvatevva, Jaipal Singh v. Roshni

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे · सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Lagama v. Gundawwa</i> KAHC020074812013	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	पिता की 1969 में मृत्यु के बावजूद बेटी को समान सहदायिकी हिस्सा मिला।
02	<i>Roshni v. Bhikham Das</i> CGHC010012052014	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2023	2005 से पहले पिता की मृत्यु होने पर भी बेटी का सहदायिकी अधिकार वैध।
03	<i>Nagben v. Bhikhabhai Ranchhodbhai</i> GJHC240324781998	HIGH COURT OF GUJARAT	2021	पैतृक संपत्ति के विभाजन होने तक बेटियों का सह-स्वामित्व का अधिकार बना रहता है।
04	<i>Danamma @ Suman Surpur & Anr. v. Amar and Ors.</i> ESCR010004452018	SUPREME COURT OF INDIA	2018	लंबित विभाजन मुकदमों में भी बेटियों को समान सहदायिकी अधिकार प्राप्त होता है।
05	<i>Kishanlal Choudhary v. Dakshayani</i> KAHC010505622017	HIGH COURT OF KARNATAKA	2023	बेटियाँ जन्म से सहदायक हैं और पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार हैं।
06	<i>Harilal v. Yashodabai</i> HCBM040005632014	BOMBAY HIGH COURT	2024	1970 में पिता की मृत्यु होने पर भी बेटियाँ सहदायक के रूप में हकदार।
07	<i>Jaipal Singh v. Roshni</i> RJHC020611442015	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2022	बेटियों का सहदायिकी अधिकार जन्म से है, पिता का 2005 में जीवित रहना अनावश्यक।
08	<i>Chandrasekaran v. Vijaya</i> HCMA010039012016	MADRAS HIGH COURT	2023	2005 के बाद लागू होने वाली वसीयत बेटियों के जन्मसिद्ध अधिकारों को नहीं रोकती।
09	<i>Ganduri Koteshwaramma v. Chakiri Yanadi</i> ESCR010001632011	SUPREME COURT OF INDIA	2011	अंतिम डिक्री पारित होने से पहले प्रारंभिक डिक्री में नया हिस्सा संशोधित किया जा सकता है।
10	<i>Anand Vardhan Prasad v. Viajaya Lakshmi Srivastava</i> JHHC010124872013	HIGH COURT OF JHARKHAND	2024	विनीता शर्मा के सिद्धांतों के अनुसार विभाजन के लंबित मामलों में बेटियों को हिस्सा।
11	<i>Km. Deepika Rani v. Vinay Bansal</i> UPHC011762902017	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	2005 से पहले जन्मे होने पर भी बेटियों को भाइयों के समान सहदायिकी अधिकार।
12	<i>Rangashamaiah v. Rangahanumaiah</i> KAHC010527322015	HIGH COURT OF KARNATAKA	2022	पूर्व-मृत बेटी के कानूनी वारिस भी सहदायिकी के तहत हिस्सा पाने के हकदार हैं।
13	<i>Channabasappa v. Parvatevva</i> KAHC020144752023	HIGH COURT OF KARNATAKA	2023	संशोधन से पूर्व मृत बेटी के वारिसों को भी सहदायिकी का अधिकार प्राप्त है।
14	<i>Chancharapu Madhusudhan Reddy v. Chancharapu Charishma</i> HBHC010113642002	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2024	पिता की मृत्यु की तिथि से परे बेटियों का सहदायिकी और विभाजन का अधिकार।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
15	<i>Kamlakar Purushotam Inamdar v. Rajani Shriram Madiwale</i> HCBM070172612015	BOMBAY HIGH COURT	2024	विनीता शर्मा कानून के प्रकाश में संपत्तियों की प्रकृति और हिस्सों का पुनर्मूल्यांकन।
16	<i>Vedhavalli v. Venkatesan</i> HCMA011474532019	MADRAS HIGH COURT	2024	शून्य विवाह से जन्मी संतान सहदायक के रूप में संपत्ति में हिस्सा नहीं पा सकती।
17	<i>Basappa Maharudrappa Holi v. Parawwa</i> KAHC020060962018	HIGH COURT OF KARNATAKA	2023	बेटियों के सहदायिकी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें समान हिस्सा प्रदान किया गया।
18	<i>Prakash & Ors. v. Phulavati & Ors.</i> ESCR010001492015	SUPREME COURT OF INDIA	2015	पुराना निरस्त नियम कि बेटियों को केवल जीवित सहदायक की जीवित बेटी होना चाहिए।
19	<i>Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma</i> ESCR010000042020	SUPREME COURT OF INDIA	2020	बेटियों का सहदायिकी अधिकार जन्म से है, पिता का 2005 में जीवित रहना अनिवार्य नहीं।
20	<i>Vavilapalli Rajeswari v. Bavera Appalanaidu</i> APHC010151752001	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2023	जन्म से सहदायिकी अधिकार होने के कारण विवाह खर्च के नाम पर कटौती अवैध।
21	<i>Achutuni Sitharavamma v. Turaga Ananda Rao</i> APHC010038522010	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2023	वास्तविक विभाजन न होने पर 1961 में मृत पिता की बेटियों को सहदायिकी अधिकार।
22	<i>Prasanta Kumar Sahoo & Ors. v. Charulata Sahu & Ors.</i> ESCR010003232023	SUPREME COURT OF INDIA	2023	अंतिम डिक्री तक विभाजन लंबित रहने के कारण बेटियों को समान हिस्सेदारी का अधिकार।
23	<i>R. Kala v. Sundaramoorthi</i> HCMA011639772017	MADRAS HIGH COURT	2023	विवाह की तिथि अप्रासंगिक है, बेटियाँ 2005 के बाद सहदायिकी में समान हिस्सेदार हैं।
24	<i>G. Sekar v. Geetha & Ors.</i> ESCR010008672009	SUPREME COURT OF INDIA	2009	धारा 23 हटने से महिला उत्तराधिकारी पैतृक आवास के विभाजन की मांग कर सकती हैं।
25	<i>Tej Bhan v. Ram Kishan</i> ESCR010006052024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के न्यायिक मतभेदों को बड़ी पीठ को भेजा।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Lagama v. Gundawwa

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-11-06 • RSA/5374/2013

यह मामला पैतृक संपत्ति में विभाजन और हिस्सेदारी से संबंधित था। वादी (plaintiff) ने संपत्ति में अपने हिस्से का दावा किया था, जिसे निचली अदालतों ने स्वीकार करते हुए उसे 1/3 हिस्सा प्रदान किया था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि संपत्ति का मूल स्वामी (propositus) 1969 में मर चुका था, इसलिए वादी का दावा प्रभावित होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि एक बेटी जन्म से ही coparcener है। न्यायालय ने कहा कि इसके लिए पिता का 9 सितंबर 2005 के दिन जीवित होना आवश्यक नहीं है। अंततः, उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के निर्णय को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के निर्णय को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने माना कि पिता की मृत्यु 1969 में होने के बावजूद बेटी जन्म से सहदायक है और उसका अधिकार विनीता शर्मा निर्णय के आलोक में पूर्णतः वैध है।

“The Hon’ble Apex Court in the case of Vineeta Sharma Vs. Rakesh Sharma and others 1 (Vineeta Sharma) has held at para No.129 as under; “129. Resultantly, we answer the reference as under: (i) The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities. (ii) The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9.9.2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which had taken place before 20th day of December, 2004. (iii) Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC020074812013

02 Roshni v. Bhikham Das

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2023-11-23 • SA/491/2014

यह मामला एक बेटी द्वारा अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने से संबंधित है। निचली अदालतों ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया था कि पिता की मृत्यु और संपत्ति का म्यूटेशन Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 के लागू होने से पहले हो चुका था।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 2005 के संशोधन के तहत बेटियों को सहदायिकी अधिकार प्राप्त हैं, भले ही पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए खारिज कर दिया।

“The Hon’ble Supreme Court in the matter of Vineeta Sharma (supra) has categorically held that Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confers the status of coparcener on the daughter born before or after the amendment in the same manner as a son with the same rights and liabilities and such rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 09.09.2005. It is further held that since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that the father coparcener should be living as of 09.09.2005.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2023

स्रोत CGHC010012052014

03 Nagben v. Bhikhabhai Ranchhodbhai

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021-07-23 • SA/127/1998

यह मामला पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार से संबंधित है। वादी (Appellant) ने अपने पिता की मृत्यु के बाद पैतृक कृषि भूमि और मकानों में अपने हिस्से का दावा करते हुए विभाजन का वाद दायर किया था। प्रतिवादियों (Respondents) ने यह तर्क दिया कि उक्त संपत्तियां उनका स्वयं का हिस्सा थीं और वे 20 वर्षों से अधिक समय से 'adverse possession' में हैं। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि एक सह-मालिक (co-owner) दूसरे के विरुद्ध 'adverse possession' का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि जब तक पैतृक संपत्ति का विभाजन न हो जाए, तब तक किसी भी सदस्य को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना स्वामित्व का पूर्ण प्रमाण नहीं है, और न्यायालय ने निचली अदालत की डिक्री को बरकरार रखते हुए वादी के पक्ष में निर्णय दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के विनीता शर्मा निर्णय का संदर्भ देते हुए बेटी के सहदायिकी अधिकारों को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि विभाजन पूरा होने तक सहदायिकी संपत्ति में बेटियों के हिस्से की मांग को खारिज नहीं किया जा सकता।

“Recently the Honourable Supreme Court in the case of Vineeta Sharma vs. Rakesh Sharma reported in AIR 2020 SUPREME COURT 3717 has dealt with Section 6(1)(a) and proviso, which came to be amended by the Act 39 of 2005 and the Hindu Succession Act, 1956 has ultimately para 129 has held as under: 129. Resultantly, we answer the ... reference as under: ... (iii) Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021

स्रोत GJHC240324781998

04 Danamma @ Suman Surpur & Anr. v. Amar and Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2018-02-01 • 2018 INSC 84

यह मामला हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों के सहदायिक (coparcenary) अधिकारों से संबंधित है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि Section 6 में संशोधन के बाद, बेटियाँ जन्म से ही अपने पिता की तरह सहदायिक बन जाती हैं और उन्हें संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हैं। भले ही संपत्ति विभाजन का वाद 2005 से पहले दायर किया गया हो, लेकिन यदि अंतिम डिक्री (final decree) पारित नहीं हुई है, तो बेटियों को उनके कानूनी हिस्से का अधिकार मिलता है। न्यायालय ने माना कि इस मामले में, चूंकि विभाजन का वाद लंबित था, इसलिए बेटियाँ अपनी संपत्ति में हिस्से की हकदार हैं। तदनुसार, निचली अदालतों के उस आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें बेटियों को सहदायिक मानने से इनकार कर दिया गया था।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के साथ ही सहदायिक की बेटी को जन्म से ही बेटे की तरह सहदायिकी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। संशोधन का प्रभाव बेटियों के कानूनी अधिकारों का विस्तार करता है।

“That apart, we are of the view that amendment to the aforesaid Section vide Amendment Act, 2005 clinches the issue, beyond any pale of doubt, in favour of the appellants. This amendment now confers upon the daughter of the coparcener as well the status of coparcener in her own right in the same manner as the son and gives same rights and liabilities in the coparcener properties as she would have had if it had been son.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2018

स्रोत ESCR010004452018

05 Kishanlal Choudhary v. Dakshayani

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023-01-11 • RFA/1980/2017

यह मामला पैतृक संपत्ति के बंटवारे और कब्जे से संबंधित है। वादी (बहनें) और प्रतिवादी (भाई) एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादियों ने दावा किया कि संपत्ति उनके दादा की थी और वे भी संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार हैं। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि परिवार में पहले ही बंटवारा हो चुका था और वादियों की शादी के समय उन्हें उनका हिस्सा मिल चुका था, इसलिए वे अब किसी और दावे की हकदार नहीं हैं। प्रतिवादियों ने संपत्ति के कुछ हिस्सों को तीसरे पक्ष को भी बेच दिया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया और माना कि वादी संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार हैं, क्योंकि वे सह-दायेदार (coparceners) हैं और उस बंटवारे का हिस्सा नहीं थीं जिसे प्रतिवादियों ने गुप्त रूप से किया था।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए माना कि 2005 का संशोधन बेटियों के सहदायिकी अधिकारों को बढ़ाता है, भले ही उनके भाई द्वारा संपत्ति का अनधिकृत हस्तांतरण किया गया हो।

“Under the proviso to section 6 before the amendment made in the year 2005 in case a coparcener died leaving behind female relative of Class I heir or a male descendant claiming through such Class I female heir, the daughter was one of them. Section 6, as substituted, presupposes the existence of coparcenary. It is only the case of the enlargement of the rights of the daughters. The rights of other relatives remain unaffected as prevailed in the proviso to section 6 as it stood before amendment.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023

स्रोत KAH010505622017

06 Harilal v. Yashodabai

BOMBAY HIGH COURT • 2024-04-18 • SA/385/2015

यह मामला संपत्ति में बेटी के उत्तराधिकार और सह-उत्तराधिकारी (coparcener) के अधिकारों से संबंधित है। वादी (बेटी) ने अपने पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में अपने हिस्से के लिए विभाजन का वाद दायर किया था। प्रश्न यह था कि क्या 2005 के संशोधन के बाद भी एक बेटी सह-उत्तराधिकारी बन सकती है, यदि उसके पिता की मृत्यु 2005 के अधिनियम के लागू होने से पहले 1970 में ही हो गई थी।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि सहदायिकी का अधिकार जन्म से उत्पन्न होता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि पिता संशोधन लागू होने के समय (9 सितंबर 2005) जीवित हों। पिता की मृत्यु 1970 में होने के बावजूद बेटी द्वारा 2007 में दायर किया गया विभाजन का मुकदमा पूरी तरह विचारणीय है।

“The coparcener even if has expired prior to coming into force the amended provision of Section 6, the daughters will be entitled for their shares in the property left behind by their ancestors. Thus, the daughters are held coparceners even if their father expired prior to 09.09.2005. 6. In view thereof, the suit filed by respondent no.1 in the year 2007, despite her father having been expired in the year 1970, is maintainable.”

BOMBAY HIGH COURT • 2024

स्रोत HCBM040005632014

07 Jaipal Singh v. Roshni

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2022-10-12 • CW/19123/2015

यह मामला संपत्ति के बंटवारे, घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के दावे से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने राजस्व अधिकारियों और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पिछले निर्णयों को चुनौती दी थी। विवाद का मुख्य मुद्दा Hindu Succession Act, 1956 की Section 6 में 2005 के संशोधन के बाद बेटियों के सह-दायिक (co-parcenary) अधिकारों की व्याख्या से जुड़ा था।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा निर्णय का अनुपालन करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने दोहराया कि बेटी का सहदायिकी अधिकार जन्मजात होने के कारण पिता का 2005 में जीवित होना अप्रासंगिक है।

“The Apex Court further held that since the right of coparcenary daughter is by birth, it is therefore not at all necessary that father of daughter should be alive as on 09.09.2005. Learned counsel for the petitioner does not dispute the legal position.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2022

स्रोत RJHC020611442015

08 Chandrasekaran v. Vijaya

MADRAS HIGH COURT • 2023-01-05 • AS/577/2016

यह मामला संपत्ति के बंटवारे और स्वामित्व के अधिकारों से संबंधित है। वादी ने एक वसीयत के आधार पर संपत्ति पर अपने अनन्य अधिकार का दावा किया था, जिसे निचली अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वसीयत प्रमाणित नहीं थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Hindu Succession Act के तहत बेटियों को भी बेटों के समान कोपार्सनरी अधिकार प्राप्त हैं। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने पुष्टि की कि बेटियाँ संपत्ति में समान हिस्से की हकदार हैं, भले ही उनके पिता की मृत्यु संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले हुई हो। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने वादी के दावे को खारिज कर दिया और अन्य उत्तराधिकारियों के संपत्ति में हिस्से को बरकरार रखा।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पिता द्वारा निष्पादित कोई भी वसीयत जो 2007 में उनकी मृत्यु के बाद प्रभावी होने वाली थी, वह बेटियों के जन्मसिद्ध सहदायिकी अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती और ऐसी वसीयत को विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।

“From the above judgment, none of the Wills alleged to have been executed by the father which should come into effect after his death in 2007 will affect the rights of female heirs to claim their share by birth and disposition by Wills are not saved.”

MADRAS HIGH COURT • 2023

स्रोत HCMA010039012016

09 Ganduri Koteshwaramma v. Chakiri Yanadi

SUPREME COURT OF INDIA • 2011-10-12 • 2011 INSC 757

यह मामला हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों के सहदायिक संपत्ति (coparcenary property) में अधिकारों से संबंधित है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 2005 के संशोधन के बाद, एक बेटी जन्म से ही बेटे की तरह सहदायिक बन जाती है। इस अधिकार का लाभ उसे तब तक मिलता है जब तक कि संपत्ति का विभाजन (partition) 20 दिसंबर, 2004 से पहले न हो चुका हो। चूंकि अंतिम डिक्री (final decree) पारित होने से पहले ही संशोधन लागू हो गया था, न्यायालय ने माना कि प्रारंभिक डिक्री (preliminary decree) को संशोधित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें बेटियों को संपत्ति में समान हिस्सा पाने का अधिकार दिया गया था।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून स्थापित किया कि जब तक अंतिम डिक्री द्वारा विभाजन पूरी तरह निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक प्रारंभिक डिक्री में हिस्सेदारी को कानून के अनुसार संशोधित और पुनः वितरित किया जा सकता है।

“Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, his interest in the property of a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship, and the coparcenary property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place and,- (a) the daughter is allotted the same share as is allotted to a son”

SUPREME COURT OF INDIA • 2011

स्रोत ESCR010001632011

10 Anand Vardhan Prasad v. Viajaya Lakshmi Srivastava

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2024-10-16 • FA/141/2013

यह मामला पैतृक संपत्ति के बंटवारे (partition) से संबंधित है। वादी (Plaintiff) ने तर्क दिया कि विवादित संपत्तियां हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family) की हैं, जिन्हें पूर्वजों से प्राप्त किया गया था। प्रतिवादियों (Appellants) का दावा था कि ये संपत्तियां स्व-अर्जित (self-acquired) थीं और उन पर वादी का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय (Trial Court) ने वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए माना कि संपत्तियां संयुक्त परिवार की हैं। तदनुसार, न्यायालय ने वादी और प्रतिवादी संख्या 2 को 41.66% हिस्सा और शेष प्रतिवादियों को 8.33% हिस्सा प्रदान करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने इस बंटवारे के आदेश की पुष्टि की।

निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि अंतिम डिक्री के लिए कार्यवाही लंबित है, तो बेटियों को बेटों के समान हिस्सेदारी दी जानी चाहिए।

“notwithstanding that a preliminary decree has been passed the daughters are to be given share in Coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in appeal. It has also been clarified on this question that whether the suits/appeals are pending before different High Courts and Sub-ordinate Courts, the daughters cannot be deprived of their rights of equality.”

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2024

स्रोत JHHC010124872013

11 Km. Deepika Rani v. Vinay Bansal

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-09-18 • FAPL/148/2017

यह मामला एक दीवानी वाद से संबंधित है जिसमें वादी (Km. Deepika Rani) ने अपने भाई (Vinay Bansal) पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वादी का कहना था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे संपत्ति में 1/7 वां हिस्सा विरासत में मिला था। प्रतिवादी ने कथित रूप से बिक्री समझौते के बहाने वादी से धोखे से एक Gift Deed पर हस्ताक्षर करवा लिए। निचली अदालत ने Order 7 Rule 11 C.P.C. के तहत वाद को खारिज कर दिया था, यह मानते हुए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत वादी का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को गलत पाया और वाद को बहाल करने का निर्देश दिया।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि 2005 के संशोधन के बाद बेटी जीवित रहने पर पूर्ण सहदायिक है, भले ही उसका जन्म संशोधन से पहले हुआ हो।

“The Apex Court in the Case of Vineeta Sharma vs. Rakesh Sharma and others, (2020) 9 SCC 1... has held that daughter born before date of enforcement of the 2005 Amendment Act has got same rights as daughter born on or after the amendment... w.e.f. 09.09.2005, she becomes a coparcener w.e.f. the date of Amendment Act, 2005 (i.e. 09.09.2005) irrespective of whether she was born before the said amendment.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC011762902017

12 Rangashamaiah v. Rangahanumaiah

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2022-01-20 • RSA/1171/2015

यह मामला पैतृक संपत्ति के विभाजन से संबंधित है। मूल वाद में, वादी ने अपने भाई के साथ संपत्ति के बंटवारे की मांग की थी, जिसे निचली अदालतों ने बहनों को भी सह-स्वामी (coparcener) मानते हुए 1/6 हिस्सा आवंटित किया था। अपीलकर्ता का तर्क था कि चूंकि एक बहन की मृत्यु 2005 के संशोधन से पहले हो चुकी थी, इसलिए उसे उत्तराधिकार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बेटी जन्म से ही सह-स्वामी होती है। अतः, उसकी मृत्यु संशोधन से पहले हुई हो या बाद में, इससे उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और माना कि मृत बेटी के कानूनी उत्तराधिकारी भी अपना हिस्सा पाने के हकदार हैं।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जन्म से उत्पन्न सहदायिकी अधिकार को बेटी की संशोधन पूर्व मृत्यु से समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके कानूनी वारिस उसकी जगह संपत्ति में हिस्सेदारी के दावेदार हैं।

“The creation of a coparcenary right is by birth and creates a right in the female by virtue of her birth in the family. Her death in the family, either before or after the Amendment, will have no effect on her status as a coparcener. Once she is born in a family she becomes a coparcener by operation of law and this status is definite and perennial.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2022

स्रोत KAHC010527322015

13 Channabasappa v. Parvatevva

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023-12-18 • WP/105363/2023

यह मामला हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों के सहदायिक (coparcenary) अधिकारों से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने पूर्व-मृत बेटियों के कानूनी वारिसों को संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि बेटियां 2005 के संशोधन से पहले मर गई थीं, इसलिए उनके वारिस समान हिस्से के हकदार नहीं हैं। न्यायालय ने Supreme Court के Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि एक बेटी का सहदायिक अधिकार जन्मजात होता है। अतः, चाहे पिता जीवित हो या नहीं, या बेटी की मृत्यु संशोधन से पहले ही क्यों न हो गई हो, उसके वारिस संपत्ति में हिस्से के हकदार हैं। न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि बेटियों को बेटों के समान सहदायिकी अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए पूर्व-मृत बेटियों के वारिसों को भी बेटों के वारिसों की भांति अधिकार प्राप्त होंगे।

“Therefore, what emerges from the above said principle is that Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, has virtually damaged the concept of Mitakshara coparcenary because daughter is treated like a son and she is entitled for a share on par in a coparcenary by birth.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023

स्रोत KAHC020144752023

14 Chancharapu Madhusudhan Reddy v. Chancharapu Charishma

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2024-01-25 • AS/2154/2002

यह वाद पारिवारिक संपत्ति के विभाजन और उस पर स्वामित्व के दावे से संबंधित था। वादियों ने दावा किया कि विवादित संपत्ति पैतृक (ancestral) और संयुक्त हिंदू परिवार (joint family) की संपत्ति थी, जबकि प्रतिवादियों का तर्क था कि ये स्व-अर्जित (self-acquired) संपत्तियाँ थीं। न्यायालय ने साक्ष्यों और राजस्व रिकॉर्ड (Pahani) का विश्लेषण करते हुए यह निर्धारित किया कि संबंधित भूमि पैतृक संपत्ति के उपार्जन (nucleus) से प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) के प्रावधानों के तहत संपत्ति की प्रकृति का मूल्यांकन किया। अंतिम निर्णय में, उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए वादियों के विभाजन के दावे को सही ठहराया।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने माना कि पिता की मृत्यु की तिथि चाहे कुछ भी हो, यदि संयुक्त परिवार और पैतृक संपत्तियाँ अक्षुण्ण हैं, तो बेटियाँ भी समान विभाजन की हकदार हैं।

“Thus. the Hpn'Lrle Supreme Court held that a woman/daughter shall also be considered as a - rint legal heir as a son and can inherit ancestral property eqrrirrlly as a male heir, inspective that the father was not alive be{ore the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 came into ,...ffect.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2024

स्रोत HBHC010113642002

15 Kamlakar Purushotam Inamdar v. Rajani Shriram Madiwale

BOMBAY HIGH COURT • 2024-06-14 • SA/336/2015

यह मामला पैतृक संपत्ति के विभाजन और स्वामित्व से संबंधित था। मूल वादी (Plaintiffs) ने दावा किया कि विवादित संपत्तियाँ उनके पिता की थीं और उनके निधन के बाद वे इसमें बराबर की हिस्सेदार थीं। प्रतिवादियों (Defendants) ने एक पुराने 'partition deed' का हवाला देते हुए विभाजन का विरोध किया, जिसे न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया। निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने संपत्तियों की प्रकृति (स्व-अर्जित या पैतृक) और पार्टियों के हिस्सों पर अलग-अलग राय दी थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपत्ति की प्रकृति के आधार पर हिस्सों का निर्धारण किया जाना चाहिए। न्यायालय ने Vineeta Sharma vs. Rakesh Sharma के कानून के आलोक में मामले का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पक्षों की सहमति से कानूनी प्रश्नों को फिर से तैयार किया।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि विनीता शर्मा के दिशानिर्देशों के तहत बेटी का सहदायिकी हित जन्म से रेट्रोएक्टिव (retroactive) रूप से लागू होता है और इसके दावों का निपटारा 9 सितंबर 2005 के अनुसार होना चाहिए।

“The dictum of the Apex Court as noted from the decision of Vineeta Sharma ((supra) is that the daughter acquires interest in the coparcenary by birth and the rights can be claimed with effect from 9th September 2005. The provisions were held to be of retr oactive application as they confer benefits based on an antecedent event, the antecedent event being birth of daughter.”

BOMBAY HIGH COURT • 2024

स्रोत HCBM070172612015

16 Vedhavalli v. Venkatesan

MADRAS HIGH COURT • 2024-10-23 • SA/141/2020

यह मामला पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित है। वादियों ने दावा किया कि 'Suit Properties' पैतृक संपत्ति हैं, इसलिए उन्हें उनके हिस्से मिलने चाहिए। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि कुछ पक्षकारों को शामिल न करने के कारण मुकदमा चलने योग्य नहीं है और उसकी दूसरी महिला से पैदा हुई संतान भी संपत्ति की हकदार है। ट्रायल कोर्ट ने वादियों के पक्ष में प्रारंभिक डिक्री पारित की। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि प्रतिवादी का दूसरा विवाह पहली पत्नी के रहते हुए हुआ था, वह शून्य (void) है, इसलिए उस संबंध से पैदा हुए बच्चे सह-दायिक (co-parceners) नहीं माने जा सकते और संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार नहीं हैं। न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर वादियों के हिस्से को संशोधित करते हुए अपील का निपटारा किया।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने शून्य विवाह से उत्पन्न संतानों को सहदायिकी अधिकार देने से इनकार कर दिया और विनीता शर्मा सिद्धांत का पालन करते हुए केवल वैध कानूनी उत्तराधिकारियों के हिस्सों को संशोधित किया।

“Notwithstanding that a preliminary decree has been passed the daughters are to be given share in coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in an appeal.”

MADRAS HIGH COURT • 2024

स्रोत HCMA011474532019

17 Basappa Maharudrappa Holi v. Parawwa

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023-11-24 • RFA/100148/2018

यह मामला पैतृक संपत्ति में विभाजन और हिस्सेदारी के दावे से संबंधित है। वादी (plaintiff) ने तर्क दिया कि वह और प्रतिवादी (defendants) एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं और वह संपत्ति में अपने 1/3 हिस्से की हकदार है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अन्य बहनों को पक्षकार न बनाने के कारण वाद 'non-joinder of necessary parties' के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। निचली अदालत ने वादी और अन्य बहनों को 1/5 हिस्सा प्रदान किया। उच्च न्यायालय ने Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma मामले का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, बेटियाँ सह-दायिक (coparceners) हैं। न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा और माना कि अन्य बहनों के हितों की रक्षा करना उचित था।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि विनीता शर्मा के दिशानिर्देशों के तहत सभी जीवित बेटियाँ सहदायिक हैं। अतः विभाजन के वाद में उन सभी को शामिल करना और उन्हें समान हिस्सा आवंटित करना न्यायसंगत है।

“In view of the law laid down in the case of Vineeta Sharma supra, the argument of the learned counsel for the appellant cannot be accepted because the relevant law which has to be applicable is that under the provision of Section 6 of Hindu Succession Act, the daughters who are alive on the date of the amendment are treated as coparceners.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023

स्रोत KAHC020060962018

18 Prakash & Ors. v. Phulavati & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2015-10-16 • 2015 INSC 793

यह मामला Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 की धारा 6 की व्याख्या से संबंधित था, विशेष रूप से इस बात पर कि क्या यह संशोधन पूर्वव्यापी (retrospective) है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह संशोधन पूर्वव्यापी नहीं है और यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जहाँ coparcener जीवित थे और 9 सितंबर, 2005 को या उसके बाद कानून के लागू होने के समय जीवित बेटियाँ मौजूद थीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 2005 के दिसंबर 20 से पहले हुए किसी भी प्रकार के विभाजन (partitions) या हस्तांतरण (alienations) इस संशोधन से प्रभावित नहीं होंगे। कानून

की भाषा और विधायिका के इरादे के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि संशोधन का उद्देश्य केवल भविष्योन्मुखी (prospective) प्रभाव डालना था।

निर्णय इस निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि 2005 का संशोधन केवल "जीवित सहदायिकों की जीवित बेटियों" पर लागू होता है। इस न्यायिक मत को बाद में विनीता शर्मा मामले में बड़ी पीठ द्वारा निरस्त (overruled) कर दिया गया।

"the amending provision itself was expressly applicable 'on and from' the commencement of the Amendment Act, i.e., 9th September, 2005."

SUPREME COURT OF INDIA • 2015

स्रोत ESCR010001492015

19 Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma

SUPREME COURT OF INDIA • 2020-08-11 • 2020 INSC 487

यह मामला Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 के तहत बेटियों के अधिकारों की व्याख्या से संबंधित है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बेटियों को जन्म से ही 'coparcener' माना जाएगा, चाहे उनका जन्म 2005 के संशोधन से पहले हुआ हो या बाद में। यह अधिकार 'unobstructed heritage' के रूप में जन्म से मिलता है, और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि पिता 09.09.2005 को जीवित हों। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 2005 के संशोधन का प्रभाव 'retroactive' है। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि Section 6(5) के तहत मौखिक बंटवारे (oral partition) के दावों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता; ऐसे दावों को केवल पंजीकृत दस्तावेजों या न्यायालय के डिक्री द्वारा ही सिद्ध किया जाना चाहिए।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट और अंतिम रूप से घोषित किया कि बेटियों का सहदायिकी अधिकार जन्म से ही होता है, इसलिए पिता का 2005 में जीवित होना आवश्यक नहीं है। मौखिक बंटवारे को केवल असाधारण मामलों में ठोस सार्वजनिक दस्तावेजों के साथ ही स्वीकार किया जा सकता है।

"The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities... Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005."

SUPREME COURT OF INDIA • 2020

स्रोत ESCR010000042020

20 Vavilapalli Rajeswari v. Bavera Appalanaidu

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023-10-20 • AS/2863/2001

यह मामला एक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित है, जहाँ वादी (पुत्री) ने अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा था। निचली अदालत ने वादी को संपत्ति में 1/6 हिस्सा दिया था और विवाह व्यय के रूप में 40,000 रुपये की कटौती करने का निर्देश दिया था। वादी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने पाया कि विवाह व्यय के नाम पर पिता द्वारा की गई कटौती का कोई आधार नहीं है और प्रतिवादी (पिता) यह साबित करने में विफल रहा कि उसने वादी के विवाह में कोई असाधारण खर्च किया था या वादी ने संपत्ति में अपना अधिकार त्याग दिया था। न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वादी को उसका उचित हक प्रदान करते हुए अपील को स्वीकार किया और निचली अदालत के निर्णय में संशोधन किया।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बेटी के हिस्से से विवाह व्यय के नाम पर की गई किसी भी कटौती को खारिज किया और विनीता शर्मा मामले का उल्लेख करते हुए बेटी को पूर्ण सहदायिकी हिस्सा दिया।

“Subsequently, in Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma 3, the Hon“ble Supreme Court held that if a daughter is alive on the date of enforcement of the Amendment Act, 2005, she becomes coparcener with effect from the date of amendment...”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023

स्रोत APHC010151752001

21 Achutuni Sitharavamma v. Turaga Ananda Rao

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023-06-13 • CRP/1364/2010

यह मामला हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों के सहदायिक (coparcenary) अधिकारों की व्याख्या से संबंधित है। मूल रूप से, 1993 में एक प्रारंभिक डिक्री (preliminary decree) पारित की गई थी, जिसमें पिता की मृत्यु 1961 में होने के कारण बेटियों के अधिकारों को सीमित माना गया था। बाद में, निचली अदालत ने बेटियों के पक्ष में डिक्री में संशोधन किया, लेकिन फिर इसे समीक्षा (review) के माध्यम से रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक सिद्धांतों का पालन करते हुए माना कि चूंकि 2005 के संशोधन से पहले संपत्ति का वास्तविक विभाजन (partition by metes and bounds) नहीं हुआ था, इसलिए बेटियाँ सहदायिक के रूप में अपने अधिकारों का दावा कर सकती हैं।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि विभाजन की केवल प्रारंभिक डिक्री वास्तविक विभाजन नहीं है। वास्तविक विभाजन (registered deed या decree) 20 दिसंबर 2004 से पहले न होने की स्थिति में, बेटियों को विनीता शर्मा निर्णय के तहत पूर्ण और संशोधित हिस्से का लाभ मिलेगा।

“Therefore, the above judgement makes it clear the amendment to the Hindu Succession Act, 1956 granting equal rights to the daughters to inherit the coparcenary property had retrospective effect and was not confined to the date of 9th September 2005, being the date on which the 2005 Act was enacted.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023

स्रोत APHC010038522010

22 Prasanta Kumar Sahoo & Ors. v. Charulata Sahu & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2023-03-29 • 2023 INSC 319

यह मामला पैतृक संपत्ति के बंटवारे (partition) से संबंधित है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में 2005 के संशोधन के बाद, बेटियाँ भी संपत्ति में समान हिस्से की हकदार हैं। चूंकि बंटवारे का मुकदमा अंतिम डिक्री (final decree) पारित होने तक चलता रहता है, इसलिए वादी अपनी स्थिति के अनुसार इस संशोधन का लाभ ले सकती हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का बंटवारा तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक अंतिम डिक्री नहीं हो जाती। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि Order XXIII Rule 3 of the Code of Civil Procedure के तहत समझौता लिखित में और सभी पक्षों की सहमति से होना अनिवार्य है, अन्यथा वह अमान्य है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अंतिम डिक्री पारित होने से पहले तक विभाजन का मुकदमा समाप्त नहीं होता, अतः इस दौरान हुए किसी भी विधायी बदलाव (जैसे 2005 का संशोधन) का लाभ बेटियों को मिलना अनिवार्य है।

“A preliminary decree determines the rights and interests of the parties. The suit for partition is not disposed of by passing of the preliminary decree. It is by a final decree that the immovable property of joint Hindu family is partitioned by metes and bounds.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2023

स्रोत ESCR010003232023

23 R. Kala v. Sundaramoorthi

MADRAS HIGH COURT • 2023-11-20 • SA/385/2017

यह मामला पैतृक संपत्ति (ancestral property) के बंटवारे से संबंधित है। वादी (Appellant) ने अपने पिता की संपत्ति में समान हिस्से की मांग की थी, लेकिन निचली अदालतों ने यह माना कि चूंकि वादी की शादी Hindu Succession (Tamil Nadu Amendment) Act, 1990 से पहले हुई थी, इसलिए वह केवल अपने पिता के हिस्से में ही हकदार है। High Court ने Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma मामले में Supreme Court द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए यह स्पष्ट किया कि बेटियां जन्म से ही coparcener हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के 2005 के संशोधन के बाद पिता की मृत्यु की तिथि अप्रासंगिक है। न्यायालय ने वादी को 'A' Schedule संपत्ति में 6/25 का हिस्सा प्रदान करते हुए निचली अदालतों के निर्णय को संशोधित किया।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि केंद्रीय संशोधन, 2005 के लागू होने के बाद, विवाह की तिथि से संबंधित राज्य-स्तरीय सीमाएँ अप्रासंगिक हो चुकी हैं और बेटी को बेटों के समान दर्जा प्राप्त है।

“By virtue of coming into force of the Central Act in the year 2005 giving equal coparcenary rights to the daughters and all sons, the date of marriage of daughter as fixed in Tamil Nadu Amendment Act has also become irrelevant.”

MADRAS HIGH COURT • 2023

स्रोत HCMA011639772017

24 G. Sekar v. Geetha & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2009-04-15 • 2009 INSC 503

यह मामला Hindu Succession Act की धारा 23 के विलोपन (omission) और उसके प्रभाव से संबंधित है, जो पहले महिला उत्तराधिकारियों को पैतृक आवास (dwelling house) के विभाजन की मांग करने से रोकता था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि वर्ष 2005 के संशोधन का उद्देश्य महिला उत्तराधिकारियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करना और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना था। न्यायालय ने माना कि इस प्रतिबंध को हटाए जाने के बाद, महिला उत्तराधिकारी अब अपने हिस्से के विभाजन की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने वसीयत (Will) की वैधता के संबंध में निचली अदालतों के निष्कर्षों को बरकरार रखा, क्योंकि वसीयत के प्रमाण में गंभीर संदेहजनक परिस्थितियां मौजूद थीं और वह कानून के अनुसार सिद्ध नहीं हो पाई थी।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 2005 के विधायी संशोधन का प्राथमिक ध्येय लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना था, तथा धारा 23 के लोप के बाद महिलाएँ पैतृक आवास के विभाजन के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

“when a repeal of provisions of an enactment is followed by fresh legislation by an amending Act such legislation is prospective in operation and does not effect substantive or vested rights of the parties unless made retrospective either expressly or by necessary intendment.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2009

स्रोत ESCR010008672009

25 Tej Bhan v. Ram Kishan

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-12-09 • 2024 INSC 945

यह मामला Hindu Succession Act, 1956 की Section 14 की व्याख्या और उसके उप-खंडों (1) और (2) के बीच के अंतर्संबंधों से संबंधित है। न्यायालय ने पाया कि इस प्रावधान की व्याख्या को लेकर पिछले कई वर्षों में परस्पर विरोधी निर्णय दिए गए हैं, जिसके कारण कानूनी अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्तमान पीठ ने माना कि चूंकि मौजूदा निर्णय दो और तीन न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए हैं जो आपस में विरोधाभासी हैं, इसलिए इसे सुलझाने के लिए एक बड़ी पीठ (larger bench) का गठन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, न्यायालय ने मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया ताकि कानून के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर स्थिति स्पष्ट की जा सके।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व अधिकारों की कानूनी जटिलताओं और न्यायिक विरोधाभासों को देखते हुए मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष संदर्भित किया।

“Interpreting Section 14 of the Hindu Succession Act, 1956... The question is of some complexity and it has evoked wide diversity of judicial opinion not only amongst the different High Courts but also within some of the High Courts themselves.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010006052024

अ स्वी क र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।